Annexs - 21

प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 250 /27– 59 (2008–09) जे0ए0 दिनॉक : 26 नवम्बर, 2014

विषय :– **नार्दन इण्डिया पब्लिक स्कूल, जलालपुर कलॉ, गजरौला, जिला अमरोहा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि नार्दन इण्डिया पब्लिक स्कूल, जलालपुर कलॉ, गजरौला, जिला अमरोहा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

2– विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।.

9– राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10– उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम जलालपुर कलॉ, गजरौला, तहसील धनौरा, जिला अमरोहा में स्थित खसरा सं0 211 क्षेत्रफल 5380 वर्गमी0, खसरा सं0 211 क्षेत्रफल 5380 वर्गमी0 तथा खसरा सं0 212 क्षेत्रफल 4250 वर्गमी0 (कुल 15010वर्गमी0) भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

11– विद्यालय भवन के सम्बन्ध में एन0बी0सी0 का अवर अभियन्ता द्वारा जारी तथा सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो ग्राह्य नहीं है। अतः सहायक अभियन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र सी0बी0एस0ई0,नई दिल्ली को सम्बद्धता से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

12– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

2– शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।

4– जिलाधिकारी अमरोहा।

5– संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

6– जिला विद्यालय निरीक्षक,अमरोहा।

7– प्रबंधक, नार्दन इण्डिया पब्लिक स्कूल, जलालपुर कलॉ, गजरौला, जिला अमरोहा।

(सुधीर गर्ग)
आयुक्त।